



प्रेस नोट - दिनांक 22.08.2026
थाना असोहा, जनपद उन्नाव ।

चोरी के तीन अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तों के कब्जे से दो कुंतल बिजली का केबल व घटना में प्रयुक्त पिकअप बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.08.2026 को थाना असोहा पर मु0अ0सं0 230/2026 धारा 305(E)/331(4)/317(2) B.N.S पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 22.08.2026 को थाना असोहा पुलिस मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. हिमांशु राठौर पुत्र अजय बिहारी निवासी ग्राम बन्धरा बाजार थाना बन्धरा जनपद लखनऊ 2. कृष्ण कुमार कश्यप पुत्र अदालत प्रसाद निवासी ग्राम जैतापुर थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर हाल पता गौरी बाजार विष्णुनगर थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ 3. मनोज कुमार यादव पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम जैतापुर थाना गौरा चौराहा जिला बलरामपुर हाल पता नई बस्ती थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ को कब्जे से दो कुंतल बिजली का केबल व घटना में प्रयुक्त पिकअप बरामद कर चंदनखेडा पुल से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. हिमांशु राठौर पुत्र अजय बिहारी निवासी ग्राम बन्धरा बाजार थाना बन्धरा जनपद लखनऊ
2. कृष्ण कुमार कश्यप पुत्र अदालत प्रसाद निवासी ग्राम जैतापुर थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर हाल पता गौरी बाजार विष्णुनगर थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ
3. मनोज कुमार यादव पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम जैतापुर थाना गौरा चौराहा जिला बलरामपुर हाल पता नई बस्ती थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ ।

बरामदगी-

दो कुंतल बिजली का केबल व घटना में प्रयुक्त पिकअप

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री मु० मूनिस
2. का० माधव पाँचाल
3. का० अमरदीप
4. रि०का० देवेन्द्र अहिरावार
5. रि०का० मयंक
6. रि०का० रोहित घोष





प्रेस नोट - दिनांक 22.08.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

चोरी का अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल एंड्राइड कंपनी ओपो व 2200/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.06.2026 को वादी मुकदमा उदयकान्त वाजपेई पुत्र श्री जयकृष्ण वाजपेयी नि० मौहारी बाग सिविल लाईन जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीरी सूचना दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी के शिक्षण संस्था के गेट का ताला तोड़ कर अन्दर से कैमरे, डीवीआर, सोने चांदी के आभूषण व नगदी तथा अन्य कागजात व एटीएम व ओप्पो कंपनी का फोन चोरी कर ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 0332/2026 धारा 305(क)//331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान /मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21.08.2026 को उ०नि० सभाजीत सिंह चौहान मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त आकाश पुत्र रामशरण सविता निवासी ग्राम देवगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव हाल पता किराये का कमरा बाल विद्या मंदिर पूरन नगर थाना कोतवाली उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष को कांशीराम सुधापुरम मोड के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल एंड्राइड कंपनी ओपो व 2200/- रुपये नगद बरामद किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 05-06/06/2026 की रात्रि में मैंने अपने साथी कृष्ण कुमार उर्फ कन्हैया पुत्र लखमी उर्फ लखपत निवासी देवगांव थाना सफीपुर हाल पता किराये का कमरा बाल विद्या मंदिर पूरन नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव व सूरज पुत्र सियाराम निवासी दूबेपुर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव हाल पता किराये का कमरा बाल विद्या मंदिर पूरन नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव के साथ मिलकर काशीराम नई बस्ती में बने निशुल्क शिक्षण संस्थान में ताला तोड़कर यह मोबाइल व नगद रुपये चोरी किये थे । मैं अपना रिकशा लेकर बाहर खड़ा रहा था और चोरी करने के उपरांत किसी को भनक न लगे

इसी लिये वहा लगे कैमरे व डीवीआर को तोड दिया था तथा बाद में आते समय नष्ट करके इधर उधर रात में फेक दिया था तथा हम लोग पूरन नगर में अपने कमरे पर आ गये थे तथा चोरी में मुझे हिस्से में सूरज के द्वारा 6000/- रुपये दिये थे उसी में से यह रुपये मेरे पास बचे थे तथा मैं इस मोबाइल को अपने दोनो सिम डालकर अभी दो तीन दिन पहले चलाने लगा था। मैं इन लोगों के साथ अपना ई रिक्शा नंबर यूपी 35 AT 9254 लेकर गया था जिसके कागजात तलब किये गये दिखाने से कासिर किया गया। उक्त ई रिक्शा को दस्तावेज के अभाव में आनलाइन अंतर्गत धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

नाम पता अभियुक्त-

आकाश पुत्र रामशरन सविता निवासी ग्राम देवगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव हाल पता किराये का कमरा बाल विद्या मंदिर पूरन नगर थाना कोतवाली उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद मोबाइल एंड्राइड कंपनी ओपो व 2200/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र०नि० चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव

उ०नि० सभाजीत सिंह चौहान IC कांशीराम कालोनी उन्नाव

का० अक्षय गोस्वामी

का० सुरेन्द्र

का० अनुभव मिश्रा

का० मंगल दास





प्रेस नोट - दिनांक 22.08.2026
थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।

जालसाजी व धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा जालसाजी व धोखाधड़ी का आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

सक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 22.08.2026 को उ०नि० सतेन्द्र सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 240/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(2)va SC/ST Act से सम्बन्धित अभियुक्त बाबूलाल पुत्र छेदा उम्र 48 वर्ष निवासी मो० सराय मुबारकअली कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को सराय सूबेदार कस्बा सफीपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

नाम पता अभियुक्त-

बाबूलाल पुत्र छेदा उम्र 48 वर्ष नि० मो० सराय मुबारकअली कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० सतेन्द्र सिंह
का० रणवीर यादव
का० गौरव कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 22.08.2026
थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव ।

02 स्टंटबाज आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा 02 स्टंटबाज आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

सक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.08.2026 को उ0नि0 श्री शिव शंकर चौबे थाना बीघापुर की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 208/26 धारा 281/125 बीएनएस व 184 MV ACT बनाम 1.अर्जुन तिवारी पुत्र अशोक तिवारी (ब्रह्ममण) निवासी ग्राम रामपुर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव (UP 35 BX 5335 ट्रैक्टर का चालक) 2. उज्जवल बाजपेई पुत्र शशिकान्त बाजपेई (ब्रह्ममण) निवासी ग्राम महाई थाना बीघापुर जनपद उन्नाव (UP 35 BZ 7976 ट्रैक्टर का चालक) पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS में किया गया है।

नाम पता अभियुक्त-

- 1.अर्जुन तिवारी पुत्र अशोक तिवारी (ब्रह्ममण) निवासी ग्राम रामपुर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव (UP 35 BX 5335 ट्रैक्टर का चालक)
2. उज्जवल बाजपेई पुत्र शशिकान्त बाजपेई (ब्रह्ममण) निवासी ग्राम महाई थाना बीघापुर जनपद उन्नाव (UP 35 BZ 7976 ट्रैक्टर का चालक)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री शिवशंकर चौबे
- 2.का0 विवेकशील



